

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 360 / 2015

संस्थित दिनांक-10 / 06 / 2015

फाइलिंग नंबर-230303014202015

- 1- रामकिशोर पुत्र केशव दयाल आयु 42 वर्ष
निवासी ग्राम देवरी, थाना मेहगांव,
जिला भिण्ड
 - 2- सीताराम पुत्र श्रीप्रसाद आयु 50 वर्ष
निवासी खेरिया थापक, थाना मेहगांव
जिला भिण्डअपीलार्थीगण / आरोपीगण
- वि रू द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा , जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....प्रत्यर्थी / अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक।
अपीलार्थीगण / आरोपीगण द्वारा श्री केशवसिंह गुर्जर अधिवक्ता।

न्यायालय-श्री गोपेश गर्ग, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक
प्रकरण क्रमांक-673/08 ई0फौ0 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक
11/05/2015 से उत्पन्न दांडिक अपील ।

-::- निर्णय -::-

(आज दिनांक 19 नवंबर 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. उक्त दांडिक अपील अपीलार्थीगण / आरोपीगण की ओर से धारा 374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय गोहद श्री गोपेश गर्ग द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 673/08 ई0फौ0 में दिनांक 11/05/15 को घोषित निर्णय व दण्डाज्ञा से व्यथित होकर पेश की है, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी / अपीलार्थी रामकिशोर को आयुद्ध अधिनियम 1959 की धारा 25(1-बी)(ए) के अपराध के लिये एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100/-रुपये अर्थदण्ड तथा आरोपी / अपीलार्थी सीताराम को आयुद्ध अधिनियम 1959 की धारा-30 के अपराध के लिए तीन माह के सश्रम कारावास एवं 100/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है, कि दोनों आरोपीगण/अपीलार्थीगण एक ही ग्राम के निवासी नहीं है, यह भी निर्विवादित है, कि प्रकरण में जब्तशुदा बताई गई माउजर बन्दूक क्रमांक ए0बी0-05-52233 घटना दिनांक को आरोपी/अपीलार्थी सीताराम के नाम से लाइसेंस थी और शस्त्र लाइसेंस 31/12/08 तक के लिए नवीनीकृत होकर वैध व प्रभावशील था, उक्त बंदूक का शस्त्र लाइसेंस सीताराम ने आत्मरक्षार्थ प्राप्त किया था, जो उसे सुपुर्दगी पर दी गई है।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है, कि दिनांक 24/06/08 को जब निरीक्षक आशीष पवार अ0सा0-09 थाना प्रभारी मोहद के पद पर पदस्थ था, तब रोजनामचा सान्हा 878 पर प्राप्त सूचना की तस्दीख के लिए वह आर0के0 शर्मा अ0सा0-10 एवं हमराह फोर्स को लेकर ग्वालियर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचा तथा छिपकर सड़क पर निगाह रखी तब एक व्यक्ति माउजर बंदूक लेकर आया जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा उससे नाम पूछने पर उसने अपना नाम रामकिशोर बताया बंदूक का लाइसेंस चाहने पर उसने लाइसेंस पेश नहीं किया, तब मौके से माउजर बंदूक 315 बोर क्रमांक ए0बी0-05-52233 को साक्षी जगदीश अ0सा0-02 व लाखन अ0सा0-03 के समक्ष 35 जिंदा राउण्ड व दो खोखे सहित जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-02 बनाया, तथा थाने पर वापिस आकर प्र0पी0-08 की एफ0आई0आर0 दर्ज कर उसके आधार पर अपराध क्रमांक 110/08 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया। आरोपी सीताराम के नाम आयुध लाइसेंस होने से सीताराम को गिरफ्तार कर जब्ती कार्यवाही की गई, आयुध का प्र0पी0-07 की रिपोर्ट अनुसार परीक्षण कराया गया, और प्र0पी0-5 अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अभियोगपत्र सक्षम जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में पेश किया।
4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र और उसके साथ संलग्न सामग्री के आधार पर आरोपी रामकिशोर पर धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम 1959 के तहत तथा आरोपी/अपीलार्थी सीताराम पर धारा-30 आयुध अधिनियम 1959 के तहत आरोप लगाए जाकर विचारण किया गया विचारण पश्चात आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध लगाये गये उक्त आरोपों को युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित मानते हुये आरोपी/अपीलार्थी रामकिशोर को एक वर्ष के सश्रम कारावास व 100/-रुपये अर्थदण्ड से तथा आरोपी/अपीलार्थी सीताराम को आयुध अधिनियम 1959 की धारा-30 के अपराध के लिए तीन माह के सश्रम कारावास एवं 100/-रुपये अर्थदण्ड दण्डित किया जिससे व्यथित होकर उक्त दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गई।
5. आरोपीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक

अपील में दोषमुक्ति कि लिए, यह आधार लिए गए हैं, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर आई साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया है, क्योंकि घटना के स्वतंत्र व पंचसाक्षी जगदीश अ0सा0-02 तथा लाखन अ0सा0-03 ने घटना का समर्थन नहीं किया है, जिस पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है, शेष साक्षी शासकीय सेवक होकर पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारी है, उनके कथनों में विरोधाभास है, जिस स्थान पर रामकिशोर को पकड़ना बताया गया है, वह राजमार्ग है, 24 घंटे आवागमन रहता है, स्थानीय किसी भी दुकानदार या घटनास्थल के पास विद्यमान पेट्रोलपंप के किसी कर्मचारी या दुकानदार को साक्षी नहीं बताया गया है, जो कि महत्वपूर्ण था, तथा मुखबिर की सूचना पर अन्य किसी व्यक्ति की चैंकिंग की गई हो ऐसा भी अनुसंधान में नहीं बताया गया है, जो बंदूक मौके पर जब्त करना बताई गई है, उसे विधिवत शील्ड नहीं किया गया है, जब्तीपत्र पर शीलछाप का नमूना अंकित नहीं है जो संदेह उत्पन्न करती है, रात्रि के समय रोड पर बैठकर जब्ती गिरफ्तारी की लिखापढी करना हास्यास्पद है, कथित घटनास्थल पर छिपने योग्य स्थान ही नहीं था, आरोपी/अपीलार्थी रामकिशोर का पैदल आना बताया गया है, जबकि ग्वालियर से पैदल आना संभव नहीं है रामकिशोर कहां से आया और कहां जा रहा था, इस संबंध में कार्यवाही करने वाले टी0आई0 आशीष पवार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, अभियोजन कहानी पूर्णतः संदिग्ध है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दुओं पर निष्कर्ष निकालते समय कोई ध्यान नहीं दिया है और विधि विरुद्ध निष्कर्ष निकालते हुए आरोपीगण/अपीलार्थीगण पर दोषसिद्धि दण्डाज्ञा अधिरोपित की है, इसलिए प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा को अपास्त कर उन्हें दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया है।

6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

- 1- "क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 673/08 में घोषित निर्णय दिनांक 11/05/2015 में आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध विरचित आरोपों को प्रमाणित मानने में विधि एवं तथ्य की भूल या त्रुटि की गई है, यदि हां तो प्रभाव ?
- 2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—:: **निष्कर्ष के आधार** ::—

7. सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने

के लिये दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

8. आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने अंतिम तर्कों में यह बताया है, कि घटना का स्वतंत्र साक्षियों से समर्थन नहीं है, मौके की कार्यवाही का दोनों पंचसाक्षियों जगदीश व लाखन के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पूरी तरह से अनदेखा किया है तथा विवेचक एवं एक सिपाही ही मौके पर गया था, शेष साक्षी पुलिस के साक्षी है और शासकीय सेवक है जो कि केश डायरी देखकर कथन करते हैं, स्थानीय व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है, जो घटनास्थल बताया गया है, वह भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग से लगा होकर ऐसा स्थान है, जहां 24 घंटे आवागमन व्यक्तियों और वाहनों का होता रहता है, तथा पेट्रोलपंप और दुकानें भी हैं, किसी दुकानदार और पेट्रोलपंप के किसी कर्मचारी को साक्षी नहीं बनाया है, वास्तव में थाने पर बैठकर कार्यवाही की है, जो राजनैतिक दबाव और वरिष्ठ अधिकारियों के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से झूठी और मनगढ़ंत की गई, सीताराम अपनी लाइसेंसी माउजर बंदूक लेकर स्वयं थाने पर उपस्थित हुआ था, रामकिशोर का भी मौके से पकड़ना नहीं बताया है, बल्कि पैदल आना कहा है, आपराधिक मनःस्थित का व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रायास करता है, जबकि ऐसा कथानक में नहीं है और आरोपीगण/अपीलार्थीगण का कोई पूर्व का रिकार्ड भी नहीं है, जब्ती की कार्यवाही करते समय उसे विधिवत शील्ड नहीं किया गया है, शील नमूना अंकित नहीं है।
9. यह भी तर्क किया है, कि घटनास्थल के आस-पास छिपने का कोई स्थान नहीं है और पैदल आने वाले व्यक्ति के लिए छिपने की जरूरत नहीं थी, अन्य किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा चैक नहीं किया गया है, जिससे पूरी कार्यवाही थाने पर मनमर्जी से कर ली जाना ही परिलक्षित होता है, इस ओर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है और केवल इस आधार पर कि पुलिस साक्षी भी सामान्य साक्षियों की तरह विश्वसनीय होते हैं, उन्हें विश्वसनीय मानकर दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा पारित कर दी है, जबकि मामला पूर्णतः संदिग्ध है और जहां स्वतंत्र साक्षियों का समर्थन न हो तथा पुलिस साक्षियों के कथनों में लोप और विरोधाभास हो तो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और मामला संदिग्ध माना जाए, इसलिए अपील स्वीकार की जाकर दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा को अपास्त कर अपीलार्थीगण/आरोपीगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाए।
10. विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा अपने तर्कों में अपीलार्थीगण/आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुए यह तर्क किया है, कि शील नमूना जब्ती पर भूल से

अंकित होना रह गया है, जिसे जब्तीकर्ता पुलिस अधिकारी ने भी स्वीकार किया है और तथ्यों को छिपाया गया नहीं है, तथा उसके आधार पर मामला संदिग्ध नहीं माना जा सकता है, पुलिस साक्षियों पर केवल इस कारण कि वे पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, जब तक की गंभीर विसंगतियां न आई हों, स्वतंत्र साक्षी दबाव, प्रभाव या अन्य कारणों से पक्ष विरोधी हो जाते हैं, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का उचित मूल्यांकन कर विधि सम्मत निष्कर्ष निकालते हुए, निर्णय पारित किया है, जो पुष्टि योग्य है, अपील में कोई ठोस आधार नहीं है और अपील सद्भावी नहीं है, इसलिए अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

11. दण्डिक अपील के निराकरण करते समय अपील न्यायालय को भी साक्ष्य का मूल्यांकन करना आवश्यक है। जैसा कि न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ एम0पी0 विरुद्ध बल्लोर उर्फ रामगोपाल 2006 फर्स्ट विधि भास्कर (एस0सी0) पेज-01 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। इसलिए विचाराधीन अपील में मूल प्रकरण में आयी साक्ष्य का अपील स्तर पर भी मूल्यांकन करना आवश्यक है।

12. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख, आलोच्य निर्णय का अध्ययन किया गया, अभियोजन के मूल कथानक मुताबिक जब दिनांक 24/06/08 को आशीष सिंह पवार थाना प्रभारी गोहद चौराहे के पद पर पदस्थ था, तब उसे मुखबिर की इस आशय की सूचना मिली कि एक आदमी अवैध माउजर बंदूक लेकर आ रहा है, जिसे रोजनामचा सान्हा में दर्ज किया था और फिर उसकी तस्दीख के लिए पुलिस बल को लेकर वह ग्वालियर रोड पर पहुंचा था, एक व्यक्ति ग्वालियर रोड से बंदूक लेकर आया था, जिसे रोककर बंदूक के बारे में पूछताछ की थी, तो उसने लाइसेंस अपने पास न होना बताया था, जिस पर से कार्यवाही करके माउजर बंदूक क्रमांक ए 0बी0-05-5223 जब्त की थी, उसे गिरफ्तार किया था, फिर थाने लाकर कार्यवाही की थी और यह जानकारी लगी थी, कि जब्त बंदूक रामकिशोर जिससे पकड़ी गई है, उसकी न होकर सीताराम की थी, जिस पर से सीताराम को भी अभियोजित किया गया।

13. अभियोजन की ओर से कुल दस साक्षी परीक्षित कराए गए हैं, बचाव पक्ष की ओर से खण्डन साक्ष्य पेश नहीं की गई है। रंजिशन झूठा फसाए जाने का आधार लिया है, यह सही है, कि दाण्डिक मामलों में प्रमाण भार अभियोजन पर ही अपने प्रस्तुत मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने का होता है, इसलिए आरोपीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य के अभाव में तो अभियोजन का मामला इसी आधार पर प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, बल्कि अभियोजन की साक्ष्य के आधार पर ही मूल्यांकित करना होगा कि जो मामला अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया

गया है, क्या वे उसे युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में सफल रहे हैं, अथवा नहीं क्योंकि असफल होने पर संदेह का लाभ आरोपीगण/अपीलार्थीगण को प्राप्त हो सकता है।

14. मौके की, की गई कार्यवाही के साक्षी जगदीशसिंह अ0सा0-02 और लाखन सिंह अ0सा0-03 है, मौके की कार्यवाही थाना प्रभारी आशीषसिंह पवार अ0सा0-09 के द्वारा की गई है, मुखबिर की सूचना पर वह पुलिस बल को साथ लेकर गया था, जिसका उल्लेख प्र0पी0-09 एवं प्र0पी0-10 के रोजनामचा सान्हा में जिनमें उसके अलावा ए0एस0आई0 आर0के0 शर्मा, आरक्षक हरनाथसिंह, श्रीकृष्ण, सुरेन्द्र, और जगराम प्र0पी0-09 मुताबिक थाने से रवाना हुए थे, जो अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए हैं, यह सही है, कि पुलिस साक्षी को भी सामान्य साक्षी की तरह मूल्यांकित किए जाने की विधि है और पुलिस साक्षी को केवल इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, कि वह पुलिस का सेवक होकर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस बिन्दु को अपने आलोच्य निर्णय की कण्डिका-14 में उल्लेखित किया है, पुलिस साक्षियों पर विश्वास करने के लिए उनकी अभिसाक्ष्य का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना होता है और उसकी साक्ष्य तात्विक विरोधाभाषों और विसंगतियों से दूर होनी चाहिए।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **गिरिजाप्रसाद विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 ए0आई0आर0 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 3106** में यह मार्गदर्शित किया है, कि पुलिस कर्मचारियों की साक्ष्य पर स्वतंत्र साक्ष्य की पुष्टि के बिना विश्वास न किया जाना अच्छी न्यायिक परिपाटी नहीं है और बिना अच्छे आधारों के पुलिस साक्षियों की साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी उपधारणा की जाती है, कि पुलिस अपना कार्य ईमानदारी से करती है, इस दृष्टि से उक्त प्रकरण में जो पुलिस साक्षी परीक्षित कराए गए हैं उनकी अभिसाक्ष्य का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब्तीपत्र प्र0पी0-01 के पंचसाक्षी जगदीशसिंह अ0सा0-02 और लाखनसिंह अ0सा0-03 ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया है और वे पक्षविरोधी रहे हैं, उन्होंने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है, कि उनके सामने पुलिस ने आरोपी रामकिशोर को गिरफ्तार किया था, और उससे 315 बोर की माउजर बंदूक एवं 35 जिंदा कारतूस और दो खोखे जो बिल्डोरिया (कारतूसों का पट्टा जिसे शरीर पर धारण किया जाता है) में थे उनकी जब्ती की गई थी, उक्त दोनों साक्षियों ने जब्तीपत्र प्र0पी0-01 और गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-02 पर अपने हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार किए हैं, जगदीश ने प्र0पी0-03 और लाखन ने प्र0पी0-04 के पुलिस कथन देने से भी इन्कार किया है, आरोपी को बचाने के लिए झूठा कथन

न्यायालय में देने से भी इन्कार किया है, ऐसे में मूल कथानक का उक्त दोनों साक्षी अवश्य समर्थन नहीं करते है, किंतु प्र0पी0-01 और प्र0पी0-02 पर वे अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर रहे हैं और उनके अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, कि पुलिस ने उनके हस्ताक्षर बलपूर्वक या किसी दबाव प्रभाव में कराए हों। हस्ताक्षर उन्होंने कहा किए इस बारे में आरोपीगण/अपीलार्थीगण की ओर से कोई सुझाव देकर स्पष्टीकरण नहीं लिया गया है।

16. उक्त स्थिति में उक्त दोनों साक्षियों के पक्ष विरोधी होकर समर्थन न करने से अभियोजन के मामले को संदिग्ध नहीं माना जा सकता है, यह अवश्य है, कि ऐसी स्थिति में जबकि उक्त दोनों साक्षियों के अलावा शेष साक्षी पुलिसकर्मी व शासकीय सेवक हैं, उनकी अभिसाक्ष्य का सावधानी व सूक्ष्मता से मूल्यांकन करना अपेक्षित हो जाता है, स्वतंत्र साक्षियों के समर्थन न करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **अप्पा भाई विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरात ए0आई0आर0 1998 सुप्रीमकोर्ट पेज 699** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है, कि स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किए जाने के कई अज्ञात कारण हो सकते हैं, वर्तमान समय में लोगों में दूसरों के मामलों में न पडने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियोजन की पुष्टि न किए जाने के आधार पर ही अभियोजन के मामले पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है, जो उक्त दोनों साक्षियों के संबंध में इस प्रकरण में प्रयोज्य किए जाने योग्य है।

17. न्याय दृष्टांत **रामविलास उर्फ बाबा विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0-2003 भाग-01 एम0पी0एल0जे0 पैज-559** में पुलिस अधिकारी की साक्ष्य के संबंध प्रतिपादित किया है, कि पुलिस अधिकारी की अभियुक्त से कोई शत्रुता न हो एवं उसकी साक्ष्य एवं विश्वसनीय हो तो, उसकी एकल साक्ष्य सत्यनिष्ठ मान्य की जानी चाहिए इस दृष्टि से प्रकरण के परीक्षित पुलिस साक्षियों के अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन करना उचित व न्याय संगत होगा, आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क विधिमान्य नहीं कहा जा सकता है, कि स्वतंत्र साक्षियों के समर्थन न करने से और स्थानीय व्यक्तियों को साक्षी न बनाए जाने से मामला संदिग्ध होगा, क्योंकि स्थानीय व्यक्ति भी किसी झमेले में पडना नहीं चाहते है और आम भारतीय विधिक कार्यवाहीयों से दूर रहने की प्रवृत्ति रखते है।

18. इस प्रकरण की घटना रात के करीब 08:30 बजे की है, भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग के निकट की है, थाना गोहद चौराहे के आस-पास का क्षेत्र, बल्कि गोहद तहसील का क्षेत्र ग्रामीण परिवेश का है और ग्रामीण परिवेश में उक्त समय के आस-पास व्यक्तियों को अपने निवास पहुंचने की शीघ्रता होती है, ऐसे में यदि कोई स्थानीय व्यक्ति साक्षी नहीं बनता है, तो उससे कोई अन्यथा निष्कर्ष

नहीं निकाला जा सकता है।

19. मुखबिर की जो सूचना थाना प्रभारी अ0सा0-09 को प्राप्त हुई थी, जिसे उसने रोजनामचा सान्हा में दर्ज किया है, सूचना की तस्दीख हेतु पुलिस बल को लेकर खानगी दर्ज करते हुए खाना हुआ, जैसा कि प्र0पी0-09 से स्पष्ट होता है और उसके साथ ए0एस0आई0 आर0के0 शर्मा, आरक्षक जगराम, श्रीकृष्ण का भी जाना बताया गया है, जो थाने के ही अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी अधिकारी है, प्र0पी0-09 के रोजनामचा सान्हा के संबंध में कोई अन्यथा स्थिति अ0सा0-09 के अभिसाक्ष्य में नहीं आई है, जहां तक मौके पर पहुंचकर मंदिर की ओट में छिपकर प्रतीक्षा करने का प्रश्न है, घटनास्थल के पास पेट्रोलपंप, दुकानें और मंदिर होने का खण्डन नहीं है, इसलिए चौकन्ना रहने के लिए मंदिर की आड में छिपना अस्वभाविक नहीं माना जा सकता है।
20. अ0सा0-09 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 24/06/08 को रात करीब 08:30 बजे सूचना मिलने पर, कि खालियर रोड से कोई व्यक्ति अवैध 315 बोर की बंदूक लेकर पैदल मोहद चौराहे की तरफ आ रहा है, जिसे उसने रोजनामचा सान्हा क्रमांक 878 पर दर्ज किया था और फिर पुलिस बल को लेकर वहां पहुंचा था, लोगों पर नजर रखी, कुछ देर बाद एक व्यक्ति 315 बोर की बंदूक लेकर चौराहे पर आता दिखा, जिसे पुलिस बल की मदद से घेरकर रोका, पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पता बताया तथा जो बंदूक वह धारण किए था, उसके लाइसेंस के बारे में पूछने पर लाइसेंस न होना बताए जाने पर उसकी जब्ती, गिरफ्तारी की कार्यवाही जगदीशसिंह, लाखनसिंह के समक्ष की थी, इस बात की पुष्टि साथ गए हमराह आरक्षक जगराम अ0सा0-01 और ए0एस0आई0 आर0के0 शर्मा अ0सा0-10 श्रीकृष्ण अ0सा0-05 तथा प्रधान आरक्षक रविन्द्र सिंह अ0सा0-06 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में की है और उनकी प्रतिपरीक्षा में इस बिन्दु पर कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है, आरोपी/ अपीलार्थी रामकिशोर का पैदल-पैदल आना भी साक्षियों ने स्वीकार किया है और पेट्रोलपंप के सामने ही उसका दिखना बताया है, जिसकी जब्ती, गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई थी, जिसका उल्लेख जब्तीपत्रक प्र0पी0-01 और रामकिशोर के गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-02 में भी है, तथा साक्षियों के कथनों के अलावा मौके की कार्यवाही पश्चात थाने आकर दर्ज की गई प्र0पी0-08 की एफ0आई0आर0 में भी है एवं वापिसी का रोजनामचा सान्हा क्रमांक 880 जिसे प्र0पी0-10 से प्रदर्शित किया गया है, उसमें भी स्पष्ट रूप से किया गया है।
21. घटनास्थल के बारे में कोई विसंगति उत्पन्न नहीं है, बल्कि मौके की कार्यवाही की पुष्टि आरक्षक जगराम अ0सा0-01 के पैरा-04 में बताए गए इस सुझाव से भी होती है, जिसमें बचाव पक्ष

की ओर से यह सुझाव दिया गया था, कि सीताराम और रामकिशोर साथ-साथ आए थे, गोहद चौराहे पर वाहन के इंतजार में खड़े थे, क्योंकि उन्हें गोहद अंदर आना था, सीताराम तत्समय शौचालय के लिए चला गया था, और मौके पर आरोपी/अपीलार्थी को अपनी बन्दूक दे कर गया था, जब शौचालय से लौटकर आया तब दरोगा जी द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को बन्दूक के साथ थाने में बंद कर दिया गया था, जब सीताराम थाने पर लाइसेंस के साथ आया और बताया कि वह शौचालय के लिए गया था, इस सुझाव से स्पष्ट हो जाता है, कि जब आरोपी/अपीलार्थी रामकिशोर से बन्दूक जब्त की गई थी, तब बन्दूक और कारतूस रामकिशोर धारण किए थे और निर्विवादित रूप से रामकिशोर लाइसेंसधारी नहीं था, इससे अभियोजन के मामले को बल प्राप्त होता है।

22. अ0सा0-01 के पैरा-04 में प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा गया है, कि मेरे सामने अर्थात् जगराम के सामने बन्दूक के लाइसेंस के बारे में पूछा गया था, तो आरोपी ने नहीं होना बताया था, लेकिन बन्दूक किसकी है, यह नहीं पूछा गया, इससे भी यही अर्थ निकलता है, कि उक्त पूछताछ रामकिशोर से तत्समय हुई, इससे प्र0पी0-01 और प्र0पी0-02 की कार्यवाही बताए गए घटनास्थल पर होना और रामकिशोर अकेले का वहां उपस्थित होना पाया जाता है, जो अभियोजन के कथानक को विधिक बल प्रदान करता है, क्योंकि प्र0पी0-01 मुताबिक जो सीताराम की लाइसेंसी माउजर बन्दूक क्रमांक ए0बी0-52233 एवं 35 जिंदा कारतूस लगी बिल्डोरिया, जिन कारतूस पर के0एफ0 8 एम0एम0 लिखा था और 02 खोखे उसी बिल्डोरिया में लगे थे उन्हें जब्त किया जाना जो अ0सा0-09 ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया है, उसकी पुष्टि होती है।

23. बचाव पक्ष अ0सा0-01 को तो सीताराम के तत्समय शौचालय चले जाने का आधार बताता है, जबकि कार्यवाही करने वाले थाना प्रभारी आशीष पवार को उससे भिन्न सुझाव प्रतिपरीक्षा में देते हुए बचाव पक्ष द्वारा यह आधार भी लिया गया है, कि घटना दिनांक को रामकिशोर के साथ बन्दूक का लाइसेंसधारी सीताराम साथ में था, और वे दोनों बस से अतरे थे, तथा सूचना देने वाला व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित था और राजनीतिक पार्टी के दबाव में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, रामकिशोर पैदल नहीं आ रहा था, किंतु किस राजनीतिक व्यक्ति या पार्टी के दबाव में कार्यवाही हुई, ऐसा बचाव पक्ष की ओर से कोई सुझाव नहीं दिया गया है, अ0सा0-01 और अ0सा0-09 को इस संबंध में दिए गए सुझाव विरोधाभासी हैं, क्योंकि एक ओर सीताराम का शौचालय चला जाना बताया गया है, दूसरी ओर बस के इंतजार में दोनों का साथ में खड़ा रहना कहा है और तीसरा बस से उतरना बताया गया है, तथा ए0एस0आई0 आर0के0 शर्मा अ0सा0-10 को दिए गए सुझाव में इससे भिन्न यह भी आधार लिया है, कि रामकिशोर के साथ

लाइसेंसधारी सीताराम बस से उतरे थे उन्हें राजनीतिक दबाव के कारण झूठा फसाया है और वे ग्वालियर से बस में बैठकर अपने गांव जा रहे थे, जैसा कि अ0सा0-10 के पैरा-06 में आया है, अर्थात् आरोपीगण/अपीलार्थीगण यही निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, कि वे अपनी स्थिति किस रूप में दर्शाना चाहते हैं, कभी शौचालय के लिए जाना, कभी बस के इंतजार में खड़े रहना, कभी बस में बैठकर आना कहता है, किंतु इनसे यह अर्थ तो निकाला ही जा सकता कि पुलिस द्वारा मौके की कार्यवाही के समय रामकिशोर की जो उपस्थिति बताई गई है, उसकी पुष्टि तो अवश्य होती है।

24. किसी भी पुलिस साक्षी पर आरोपीगण/अपीलार्थीगण की पुलिस से कोई रंजिश या बुराई हो ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है, न ही कौनसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता उनकी है, इस बारे में भी सुझाव नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में पुलिस साक्षियों की साक्ष्य निश्चित रूप से विश्वास किए जाने योग्य है और जगराम अ0सा0-01, श्रीकृष्ण-06, अशीष पवार अ0सा0-09 और आर0के0 शर्मा अ0सा0-10 जो एक ही थाने के पदस्थ पुलिस अधिकारी, कर्मचारी रहे हैं, उनकी अभिसाक्ष्य में ऐसी कोई तात्त्विक विसंगति उत्पन्न नहीं हुई, जो उनके अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय माने जाने के लिए पर्याप्त हो।

25. जहां तक बंदूक की मौके पर जब्ती पश्चात शीलबंद किए जाने का बिन्दु उठाया गया है, यह सही है, कि प्र0पी0-01 जिसके द्वारा रामकिशोर से बंदूक मय कारतूस और बिल्डोरिया के जब्त हुई, उसमें कॉलम नंबर 13 जिसमें शील छाप की मुद्रा अंकित किए जाने का प्रावधान है, वह स्थान रिक्त है अर्थात् मौके पर शील विहित प्रक्रिया के तहत न होना उससे अवश्य माना जा सकता है, इस संबंध में जब्तीकर्ता पुलिस अधिकारी आशीष पवार अ0सा0-09 के द्वारा अपनी अभिसाक्ष्य में पैरा-06 में यह तो कहा है, कि वह शीलबद्ध करने की सामग्री घटनास्थल पर लेकर गया था, क्योंकि हमेशा साथ रखता है, जिसका उल्लेख रोजनामचा सान्हा में नहीं है, और वह मौके पर शील कराना भी कहता है, शील नमूना जब्तीपत्र में गलती से छूट जाना बताता है, ए0एस0आई0 आर0के0 शर्मा अ0सा0-10 पैरा-05 में जब्ती चिट गोंद से चशपा करना बताता है, चपड़ी की शील का इस्तेमाल न होना वह स्वीकार करता है, इस विरोधाभास पर से संदेह माने जाने का तर्क बचाव पक्ष की ओर से किया गया है, किंतु यह तर्क इस कारण स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, कि किसी भी हथियार को मौके पर चपड़ी के द्वारा शीलबंद इसलिए किए जाने का नियम है, ताकि उसमें कोई बदलाव नहीं कर सके।

26. न्याय दृष्टांत बिलाल अहमद विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 आंध्रप्रदेश ए0आई0आर0 1997 सुप्रीम कोर्ट

पैज-348 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्गदर्शित किया गया है, इस प्रकरण की विषय वस्तु को देखा जाए तो जो बंदूक जब्त की गई है, वह निर्विवादित रूप से आरोपी सीताराम की लाइसेंसी 315 बोर की माउजर बंदूक थी, जो रामकिशोर से जब्त हुई, कोई ऐसा अवैध आग्नेय शस्त्र नहीं है, जिसे टेम्पर किया जा सकता हो और ऐसे जब्त हथियार के बदलाव या उसमें छेड़छाड़ की संभावना नगण्य है, इसलिए यदि शील चपड़ी न भी की गई हो, तब भी उससे जब्तीपत्र को संदिग्ध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अनुसंधान स्तर पर प्र0पी0-06 के जब्तीपत्र मुताबिक आरोपी सीताराम से प्र0पी0-01 मुताबिक जब्त हुई बंदूक का शस्त्र लाइसेंस दिनांक 30/07/08 को जब्त किया गया था, जिसकी पुष्टि जब्तीकर्ता ए0एस0आई0 आर0के0 शर्मा अ0सा0-10 ने अपने अभिसाक्ष्य में भी की है, और उसका समर्थन श्रीकृष्ण अ0सा0-05 एवं निहाल सिंह अ0सा0-08 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में की है और प्र0पी0-06 के संबंध में कोई अन्यथा स्थिति निर्मित नहीं हुई है, ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का बंदूक शील्ड न होने के बिन्दु पर आलोच्य निर्णय की कण्डिका-12 में न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ यू0पी0 विरुद्ध धनबान 1965 भाग-01 किमिनल लॉ जनरल पैज-667** के अनुसरण में निकाला गया निष्कर्ष विधि सम्मत और उचित है।

27. प्रकरण में जब्त बंदूक एवं कारतूसों की जांच भी कराई गई है, जांच करने वाले आरक्षक आर्म्स मुहर्रर राजकिशोर अ0सा0-07 ने अपने अभिसाक्ष्य में उक्त जब्तशुदा बंदूक क्रमांक ए 0बी0-05-52233 एवं जब्त 315 बोर के 35 जिंदा कारतूस की जांच करने पर बंदूक चालू हालत में फायर करने योग्य और कारतूस जिंदा पाए, जिसके संबंध में कोई अन्यथा परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, न ही बचाव पक्ष का ऐसा कोई आधार है, कि जो बंदूक जब्त की गई थी, वह आग्नेय आयुध की श्रेणी में ही न आती हो, बल्कि प्र0पी0-06 के द्वारा जो लाइसेंस जब्त हुआ है, जिसमें सीताराम का लाइसेंस दिनांक 31/12/08 तक के लिए नवीनीकृत था, अर्थात् जब्त बंदूक निश्चित तौर पर आग्नेय शस्त्र ही है और वह चालू हालत में होना इसलिए भी माना जाएगा, क्योंकि शस्त्र लाइसेंस तभी किसी आग्नेय शस्त्र का नवीनीकृत होता है, जब वह शस्त्र उपयोगी हो, बंदूक में कोई तकनीकी कमी या खराबी का भी सुझाव नहीं है, इससे भी मौके पर बंदूक शील्ड न होने का कोई दुष्प्रभाव अभियोजन के मामले पर नहीं माना जा सकता है।

28. इस प्रकार से उक्त विश्लेषण के आधार पर प्र0पी0-01 व प्र0पी0-02 मुताबिक मौके की कार्यवाही की पुष्टि आरक्षक जगराम अ0सा0-01, श्रीकृष्ण अ0सा0-05, रविन्द्र अ0सा0-06, आशीष पवार अ0सा0-09 और आर0के0 शर्मा अ0सा0-10 के अभिसाक्ष्य से होती है, और प्र0पी0-01 और प्र0पी0-02 की

कार्यवाही के संबंध में उक्त साक्षी पूर्ण विश्वसनीय साक्षी की श्रेणी में उक्त स्थिति में आ जाते हैं, जिन पर अविश्वास करने का कोई भी आधार विद्यमान नहीं है।

29. आशीष पवार अ0सा0-09 ने मौके की कार्यवाही के पश्चात थाने आकर प्र0पी0-08 की एफ0आई0आर0 दर्ज की है, जिसके संबंध में भी कोई अन्यथा परिस्थिति उसकी प्रतिपरीक्षा में नहीं आई है, चूंकि अप्रत्यक्ष रूप से बंदूक की जब्ती रामकिशोर को दिए गए सुझाव से हुई है, ऐसे में मौके पर पहुंचने और कौन पुलिसकर्मी कहां खड़ा था, किस दिशा से जाकर कैसे घेरा कहां पकड़ा, कितनी देर प्रतीक्षा की, कितनी दूरी से देखा, यह सभी बिन्दु गोंड हो जाते हैं और उनका कोई विधिक मूल्य नहीं रह जाता है, इसलिए उक्त बिन्दु पर की गई, प्रतिपरीक्षा के तथ्य महत्व नहीं रखते हैं, न ही आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का उक्त बिन्दुओं पर किया गया तर्क विधिमान्य है।

30. एफ0आई0आर0 पश्चात अग्रिम विवेचना ए0एस0आई0 आर0के0 शर्मा अ0सा0-10 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में करना बताई गई है, जिसमें उसके द्वारा प्र0पी0-06 का शस्त्र लाइसेंस जब्त करने के अलावा साक्षियों के उनके बताए अनुसार कथन लेखबद्ध करना बताया है, कथन थाने पर लेना कहे हैं, जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

31. आरोपी/अपीलार्थी सीताराम को दिनांक 30/07/08 को गिरफ्तार किया गया है, उसी दिन उससे प्र0पी0-06 मुताबिक बंदूक के शस्त्र लाइसेंस की जब्ती की गई, बचाव पक्ष घटना दिनांक को भी सीताराम का रामकिशोर के साथ होना बताकर आया है, किंतु घटना दिनांक 24/06/08 से लेकर सीताराम के थाने आकर दिनांक 30/07/08 को दी गई गिरफ्तारी के दरम्यान की अवधि में सीताराम की ओर से बंदूक के संबंध में न तो कोई कार्यवाही की गई, न कार्यवाही की जाना बताया गया, इससे आधार कि सीताराम रामकिशोर दोनों साथ-साथ थे, और जब बंदूक रामकिशोर से पकड़ी गई तब सीताराम शौचालय चला गया था, यह स्वमेव ही खण्डित हो जाता है, तथा बचाव पक्ष द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है, कि सीताराम लाइसेंस लेकर घटना वाले दिन ही थाने पहुंचा था, या कब पहुंचा और यदि घटना वाले दिन वह साथ में ही था, और उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की, उसके संबंध में कोई कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों को करने के बारे में भी नहीं बताया गया है, इसलिए रंजिशन झूठा फंसाए जाने का लिया गया आधार कोई बल नहीं रखता है। जबकि गिरफ्तारी पश्चात सुपुर्दगी पर बंदूक लेने की कार्यवाही सीताराम द्वारा अवश्य की गई।

32. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से यह भी स्पष्ट है, कि बंदूक सुपुर्दगी पर लेने हेतु आवेदन दिनांक

08/08/08 को सीताराम की ओर से दिया गया था, और बंदूक उसे दिनांक 11/08/08 को सुपुर्दगी पर प्राप्त हुई थी, सुपुर्दगी आवेदन में आरोपी/अपीलार्थी सीताराम ने फरियादी से काफी मनमुटाव बताते हुए बंदूक आत्मरक्षार्थ के आधार पर मांगी थी, किंतु अभियोजन को साक्षियों को बचाव पक्ष की ओर से फरियादी जो कि पुलिस है, उससे मनमुटाव के संबंध में कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में जो भी बचाव के आधार लिए गए उनमें कोई बल नहीं है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य पर विश्वास कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

33. योगेन्द्र कुशवाह अ0सा0-04 ने अपने अभिसाक्ष्य में पुलिस केशडायरी एवं जब्त बंदूक के आधार पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के द्वारा प्र0पी0-05 की अभियोजन स्वीकृति आयुध अधिनियम 1959 की धारा-03 का आरोपी रामकिशोर द्वारा उल्लंघन किया जाना मानते हुए, उक्त अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत प्र0पी0-05 की अभियोजन स्वीकृति विधिवत प्रदान की जाने की साक्ष्य दी है, जिस पर कोई प्रतिपरीक्षा नहीं है, और उसकी साक्ष्य अखण्डनीय है, जिससे अभियोजन स्वीकृति दिए जाने में तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा न्यायिक विवेक का उपयोग किया जाना परिलक्षित होता है, और अभियोजन स्वीकृति विधि सम्मत तरीके से आरोपी/अपीलार्थी रामकिशोर के विरुद्ध प्रदान की जाना प्रमाणित होती है और उक्त आरोपी/अपीलार्थी का कृत्य अवैध रूप से आग्नेय शस्त्र अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में रखने बावत युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित होता है, जिससे उसके द्वारा उक्त आयुध अधिनियम की धारा-03 का स्पष्टतः उल्लंघन करना प्रमाणित है ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आरोपी/अपीलार्थी को धारा-25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराए जाने में कोई विधि संबंधी या तथ्यात्मक भूल या त्रुटि नहीं हुई है, फलतः उसके संबंध में दोषसिद्धि के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील को सारहीन मानते हुए निरस्त की जाती है।

34. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी सीताराम को आयुध अधिनियम 1959 की धारा-30 के अंतर्गत दोषी पाते हुए दण्डित किया है, अभियोजन के कथानक मुताबिक उक्त आरोपी/अपीलार्थी प्र0पी0-01 मुताबिक जब्त की गई बंदूक का लाइसेंसधारी व्यक्ति था, जिसने शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अनुज्ञप्ति रहित व्यक्ति आरोपी/अपीलार्थी रामकिशोर को अपनी बंदूक बगैर किसी लिखित प्राधिकार के परिदत्त की तथा जब रामकिशोर को मय शस्त्र के पकड़ा गया उस समय सीताराम की उसके साथ उपस्थिति नहीं रही, आरोपी/अपीलार्थी की ओर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा-03 के परंतुक का न तो आधार लिया गया है, न ही प्रकरण में ऐसी

कोई परिस्थिति है, कि उक्त शस्त्र के नवीनीकरण के लिए या मरम्मत आदि के लिए बंदूक को रामकिशोर सीताराम के लिखित प्राधिकार से ले जा रहा हो, ऐसे में उक्त अधिनियम की धारा-03 के परंतुक की प्रकरण में प्रयोज्यता नहीं आती है, इस बावत् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की कण्डिका-15 का निष्कर्ष विधिसम्मत अवश्य है, ऐसे में आरोपी/अपीलार्थी सीताराम की आयुध अधिनियम-1959 की धारा-30 के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि पूर्णतः विधिसम्मत पाई जाती है, अतः आरोपी/अपीलार्थी सीताराम के संबंध में प्रस्तुत दांडिक अपील दोषसिद्धि के बिन्दु पर स्वीकार योग्य न होने से निरस्त की जाती है,

35. जहां तक विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई दण्डाज्ञा की कठोरता का बिन्दु है, इस बिन्दु पर अपीलार्थीगण/आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आशय का तर्क किया गया है, कि आरोपीगण/अपीलार्थीगण वर्ष 2008 से विचारण का सामना करते आ रहे हैं और करीब 08 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए कारावास की दण्डाज्ञा को अपास्त किया जाए और रामकिशोर को लंबी अवधि के विचारण को देखते हुए विचारण के दौरान भोगी गई न्यायिक निरोध की अवधि से ही दण्डित करके तथा सीताराम से अज्ञानतावश अपराध हो जाने और कोई आपराधिक चरित्र न होने के कारण केवल जुर्माने से ही दण्डित कर छोड़ दिया जावे, जिसका भी विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा कडा विरोध किया गया है, और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा को उचित बताया है।

36. इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने सीताराम को 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है, सीताराम विचारण के दौरान न्यायिक निरोध में नहीं रहा है, रामकिशोर 34 दिन न्यायिक निरोध में विचारण के दौरान दिनांक 25/06/08 से 28/07/08 तक व्यतीत कर चुका है, किंतु उक्त अवधि कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती है, यह सही है, कि अभिलेख पर आरोपीगण/अपीलार्थीगण की पूर्व की दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं है, किंतु लाइसेंसी आग्नेय शस्त्र आत्मरक्षार्थ या सम्पत्ति की रक्षा के लिए राज्य द्वारा पात्र व्यक्ति को दिया जाता है, कारित घटना में आरोपी/अपीलार्थी रामकिशोर 315 बोर की माउजर बंदूक सहित 35 जिंदा कारतूस दो खोखे सहित पकड़ा गया था, इतनी अधिक मात्रा में कारतूसों का अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा लेकर चलना जहां एक ओर समाज के आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है, क्योंकि अनाधिकृत व्यक्ति उक्त शस्त्र का दुरुपयोग कर दे तो कोई भी गंभीर घटना घटित हो सकती है।

37. लाइसेंसी बंदूक अपात्र व्यक्ति को सौंप देना लोगों के

जीवन की सुरक्षा से खिलवाड़ है और इससे अवैध रूप से हथियारों को लेकर चलने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, स्थानीय परिवेश में आग्नेय शस्त्र को लेकर चलना प्रतिष्ठा की विषय वस्तु बनाई जाती है, इस दृष्टि से भी ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता इस दृष्टि से हो जाती है, इस दृष्टि से अपराध को हल्के रूप में नहीं लिया जा सकता है और उदारतापूर्ण रुख लंबी अवधि तक चले विचारण के आधार पर नहीं अपनाया जा सकता है, ऐसी स्थिति में आरोपी/अपीलार्थी सीताराम को दिया गया दण्डादेश अत्यधिक कठोर दण्ड की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है, और आयुध अधिनियम 1959 की धारा-25(1-बी)(ए) में भी आरोपी/अपीलार्थी राम किशोर को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया दण्डादेश कठोर नहीं माना जा सकता है। फलतः दण्डाज्ञा कम किए जाने का आधार नहीं बनता है, और इस आधार पर भी अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है, और बाद विचार प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार योग्य न होने से निरस्त की जाती है।

38. आरोपीगण/अपीलार्थीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई कारावास की दण्डाज्ञा को भुगताए जाने हेतु संलग्न सजा वारंट एवं धारा-428 द0प्र0स0 के प्रमाणपत्र सहित आज ही जेल भेजा जावे।

39. अपील में प्रस्तुत अपीलार्थीगण/आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

40. प्रकरण में जब्तशुदा बताई गई 315 बोर की बंदूक व 35 जिंदा कारतूस व 02 खोखे आरोपी/अपीलार्थी सीताराम के पास सुपुर्दगी पर है, उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त होने की अभिलेख पर कोई जानकारी नहीं है, अतः सुपुर्दगीनामे भारमुक्त समझे जाने बावत अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय कि कण्डिका 26 को यथावत रखा जाता है। पुनरीक्षण होने की दशा में माननीय पुनरीक्षण न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण हो।

41. अपीलार्थीगण/आरोपीगण को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

दिनांक: 19 नवंबर 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड